

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-3/निदे०-पी०ओ०ए०(स्वी० एवं आवं)-05-04/2026 94

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-11/08/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में प्राप्त Mother Sanction में से केन्द्रांश में ₹2,47,50,000/- (दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार रू०) मात्र की राशि का तथा राज्यांश में ₹2,47,50,000/- (दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार रू०) मात्र अर्थात् कुल ₹4,95,00,000/- (चार करोड़ पन्चानवे लाख रू०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

राज्य सरकार के द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-93 दिनांक-11/08/26 से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत बजट उपबंध के आलोक में केन्द्रांश में प्राप्त Mother Sanction में से ₹2,47,50,000/- (दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार रू०) मात्र की राशि तथा राज्यांश में ₹2,47,50,000/- (दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार रू०) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹4,95,00,000/- (चार करोड़ पन्चानवे लाख रू०) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2-उक्त स्वीकृति के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश की क्रमशः ₹2,47,50,000/- (दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार रू०) एवं ₹2,47,50,000/- (दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार रू०) अर्थात् कुल ₹4,95,00,000/- (चार करोड़ पन्चानवे लाख रू०) मात्र की राशि SNA SPARSH के लिए वित्त विभाग, बिहार, पटना तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप व्यय करने हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार जिलों को आवंटित की जाती है।

3- उक्त राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0221-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0221.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770221” पी०एफ०एम०एस० कोड 9488 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4- वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5295 दिनांक-09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M.दिनांक-13.07.2025 तथा समय-समय पर SNA-SPARSH हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राशि का व्यय किया जाएगा।

5-इस योजना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/Implementing Agencies (IAs) संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/Implementing Agencies (IAs) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलाक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जयेगा।

7- व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक-31.03.2027 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

8-इसी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वासभाजन



निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 94

पटना,दिनांक- 11/08/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-8डी0/सांख्यिकी शाखा/आई0 टी0 मैनेजर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 94

पटना,दिनांक- 11/08/2026

प्रतिलिपि-सभी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 94

पटना,दिनांक- 11/08/2026

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।



निदेशक।

वित्तिय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के तहत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन हेतु जिलों को SNA-SPARSH के माध्यम से व्यय करने हेतु आवंटित राशि की विवरणी:-

(राशि रू0 में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	केन्द्रांश में प्राप्त Mother Sanction की राशि	राज्यांश की राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	ARARIA	250000	250000	500000
2	ARWAL	250000	250000	500000
3	AURANGABAD	1000000	1000000	2000000
4	BANKA	500000	500000	1000000
5	BEGUSARAI	1000000	1000000	2000000
6	BHAGALPUR	500000	500000	1000000
7	BHOJPUR	1000000	1000000	2000000
8	BUXAR	500000	500000	1000000
9	DARBHANGA	1250000	1250000	2500000
10	GAYA	1500000	1500000	3000000
11	GOPALGANJ	1000000	1000000	2000000
12	JAMUI	500000	500000	1000000
13	JEHANABAD	250000	250000	500000
14	KAIMUR	1000000	1000000	2000000
15	KATI HAR	500000	500000	1000000
16	KHAGARIA	250000	250000	500000
17	KISHANGANJ	250000	250000	500000
18	LAKHISARAI	500000	500000	1000000
19	MADHEPURA	250000	250000	500000
20	MADHUBANI	500000	500000	1000000
21	MUNGER	250000	250000	500000
22	MUZAFFARPUR	500000	500000	1000000
23	NALANDA	1000000	1000000	2000000
24	NAWADA	500000	500000	1000000
25	PASHCHIM CHAMPARAN	1000000	1000000	2000000
26	PATNA	1500000	1500000	3000000
27	PURBI CHAMPARAN	500000	500000	1000000
28	PU R N I A	500000	500000	1000000
29	ROHTAS	500000	500000	1000000
30	SAHARSA	500000	500000	1000000
31	SAMASTIPUR	1000000	1000000	2000000
32	SARAN	1000000	1000000	2000000
33	SHEIKHPURA	250000	250000	500000
34	SHEOHAR	250000	250000	500000
35	SITAMARHI	250000	250000	500000
36	SIWAN	1000000	1000000	2000000
37	SUPAUL	500000	500000	1000000
38	VAISHALI	1000000	1000000	2000000
कुल		24750000	24750000	49500000

झापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0एवं आवं0) 05-04/2026- 94

पटना, दिनांक-11/08/2026


निदेशक